सराहनीय कार्य दिनाँक 22-02-2023 जनपद फिरोजाबाद

एसएसपी फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना उत्तर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र 12 घण्टे के अन्दर हत्या का खुलासा कर हत्या करने वाले अभियुक्त मुन्नेश को मय आलाकत्ल के किया गिरफ्तार।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में एवं पुलिस अधीक्षक नगर फिरोजाबाद, क्षेत्राधिकारी नगर फिरोजाबाद के सफल पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी के नेतृत्व में हत्या के अनावरण व अन्य जघन्य अपराधों को घटित करने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना उत्तर की पुलिस द्वारा हत्या करने वाले अभियुक्त मुन्नेश पुत्र वीरेन्द्र सिंह नि0 काशीराम कालोनी पचवान थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद उम्र करीब 35 वर्ष की गिरफ्तारी करते हुए सफल अनवारण किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 21.02.2023 को पूर्व ग्राम प्रधान बैंदी श्री पवन शर्मा ने सूचना दी कि बैंदी पुलिया के पास एक व्यक्ति का शव मृत अवस्था में पडा हुआ है। जिस पर थाना उत्तर पुलिस व फील्ड यूनिट द्वारा तुरंत घटनास्थल पर पहुँचते हुए देखा कि एक व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 35 से 40 वर्ष है जो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है मृतक के आसपास काफी लोगो की भीड़ लगी हुयी है आसपास के लोगो से मृतक के बारे में पूछताछ करते हुए मृतक का शिनाख्त करायी गई। तो मिथुन शर्मा ने मृतक की पहचान करते हुए बताया कि यह मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। इसका नाम विपिन उर्फ महाराज जाटव पुत्र दौजीराम निवासी काशीराम कॉलोनी पचवान थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद है। मिथुन ने बताया कि कल दिनांक 20.02.2023 को शाम करीब 7.30 बजे मुझसे 100 रुपये लेकर दोस्त के घर पर वर्थडे पार्टी में जाने के लिये कहकर चला गया था लेकिन दिनांक 21.02.2023 को सुबह ड्यूटी में नही आया तो मैं इसको आसपास के लोगो व उसके आवास काशीराम कॉलोनी खोजता हुआ आया तो सुना कि बैंदी की पुलिया के पास एक व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है जिस पर मै तुरन्त बैदी की पुलिया के पास आया मैने इसकी पहचान की है इसका छोटा भाई सचिन दिल्ली में काम करता है जिसको हमने फोन करके सूचना दी गयी। फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया तथा मौके पर मृतक का पंचायतनामा तैयार कर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। थाना स्थानीय पर वादी सचिन की लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0 134/2023 धारा 302 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए घटना का सफल अनावरण करने हेतु टीमों का गठन किया गया।

घटना का अनावरण –

आज दिनांक 21.02.23 को मैं निरीक्षक अपराध सुशील कुमार मय हमराही उ0नि0 श्री महावीर सिंह व एचसीपी जितेन्द्रपाल राजौरिया व का0 743 सत्यवीर सिंह , का0 840 प्रेम सिंह , का0 725 सागर सरोहा मय जीप सरकारी चालक का0 बलराम सिंह के मु0अ0सं0 134/23 धारा 302 भादवि थाना उत्तर के घटना के सफल अनावरण हेतु काशीराम कॉलोनी में स्थित देशी शराब की दुकान के पास आया वहाँ के लोगो से पूछताछ की गयी तो ज्ञात हुआ कि मृतक महाराज उर्फ विपिन व काशीराम कॉलोनी की दो अन्य व्यक्ति मुन्नेश व सुनील व नगला सरुआ का रहने वाला एक

व्यक्ति ढिल्ला चारों ने समय करीब 08.30 बजे शाम को शराब पी है जिस पर हम पुलिस वालों ने तीनी व्यक्ति सुनील मुन्नेश व ढिल्ला की तलाश की जिस पर सुनील व ढिल्ला मिल गये पूछताछ में सुनील व ढिल्ला ने बताया कि हम चारों ने बैठकर ठेके में शराब पी शराब पीकर सुनील व ढिल्ला अपने घर चले लेकिन महाराज व मुन्नेश ठेका के सामने रुके रहे । जिस पर मुन्नेश की तलाश की गयी तो दिनांक 22.02.2023 को मुखबिर की सूचना पर मुन्नेश पुत्र वीरेन्द्र सिंह को पचवान को जाने वाले रास्ते की खेत की मेड़ से पकड़ लिया पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मैने अपने दोस्त महाराज उर्फ विपिन की हत्या कर दी है दिनांक 21.02.23 को मै व महाराज व सुनील पुत्र हरिचन्द निवासी कालोनी पचवान , डिल्ला उर्फ शिव शंकर पुत्र बलवीर निवासी नगला सरुआ थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद के साथ शराब पीने के लिये पचवान चौराहा गये थे जहाँ पर हम चारों ने शराब पी तथा मेरे पर पैसे खत्म हो गये थे तब मैने सुनील से 150 रुपये छीन लिये महाराज ने सुनील का साथ दिया और मेरे साथ मारपीट कर दी उसके बाद वहाँ से सुनील व ढिल्ला चले और उनके सामने मैं भी चला गया फिर मैं महाराज को वहाँ से निकलने का सड़क पर खड़ा होकर इन्तजार करने लगा जब काफी देर तक महाराज शराब ठेके से नही हटा और मुझे गुस्सा बढ़ती जा रहा थी फिर मै दुबारा ठेके पर गया और ठेके से शराब खरीदी और महाराज से मित्रता वाली बात शुरु कर दी और अपना बदला लेने के उसको साथ – साथ लेकर नबाब इण्टर कॉलेज से पहले लिंक रोड़ गाँव बैंदी के पास आया और सड़क किनारे बैठकर उसको मैने फिर शराब पिलाई उसके बाद मैने उसकी मारपीट शुरु कर दी और सड़क से नीचे दोनो लोग लुढकते हुए गिर गये मैने वही पड़ी ईट से उसका सर कुचल दिया जब वह खत्म हो गया तब मै वहाँ से भाग आया और भागता ही फिर रहा हूँ।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1-मुन्नेश पुत्र वीरेन्द्र सिंह नि0 काशीराम कालोनी पचवान थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।

<u>बरामदगी –</u>

1-02अदद ईट का रक्त रंजित अध्धा।
2-03 अदद 10-10 के रक्त रंजित नोट।
3-एक अदद रक्त रंजित टी-शर्ट।
4-एक अदद मोबाइल लावा कम्पनी।
5-01 अदद बेल्ट काला।
6-01 अदद देशी शराब का कागज पाउज खाली।

<u>गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक अपराध श्री सुशील कुमार थाना उत्तर, फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 श्री महावीर सिंह चौ0प्र0 ककरऊ कोठी थाना उत्तर फिरोजाबाद।
3. एचसीपी श्री जितेन्द्रपाल राजौरिया थाना उत्तर फिरोजाबाद।
4. है0का0 200 अशोक कुमार थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद।
5. का0 743 सत्यवीर सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
6. का0 725 सागर सरोहा थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
7. का0 840 प्रेम सिंह थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।
8. है0का0 673 अजय कुमार थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।